## HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON TUESDAY, THE  $6^{TH}$  MARCH, 2018 AT 10.00 A.M.

### I. QUESTIONS.

Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

## II. MOTION UNDER RULE 121.

#### A MINISTER

to move that the provisions of Rules 231, 233, 235 and 266 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-sofar as they relate to the constitution of the:-

- i) Committee on Public Accounts;
- ii) Committee on Estimates;
- iii) Committee on Public Undertakings; and
- iv) Committee on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Backward Classes, for the year 2018-2019 be suspended.

ALSO

to move that this House authorizes the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2018-2019, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

# III. <u>DISCUSSION ON THE GOVERNOR'S ADDRESS.</u>

(i) DR. ABHE SINGH YADAV, M.L.A.

to move that an Address be presented to the Governor in the following terms:-

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 5<sup>th</sup> March, 2018 at 2.00 P.M.".

(ii) SHRI GIAN CHAND GUPTA, M.L.A.

to second the above motion.

CHANDIGARH: THE 5<sup>th</sup> March, 2018.

RAJENDER KUMAR NANDAL, SECRETARY.

## हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 6 मार्च, 2018 को 10.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. प्रश्न

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वे :--

- i) लोक लेखा समिति ;
- ii) प्राक्कलन समिति ;
- iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति ; तथा
- iv) अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2018—2019 के लिए निलंबित किया जाए।

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों / ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2018–2019 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामज़द करें।

## III. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा

(i) डा० अभय सिंह यादव, प्रस्ताव करेंगे कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन एम.एल.ए. निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए :--

कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 5 मार्च, 2018 को 2.00 बजे मध्याहन—पश्चात् सदन में देने की कृपा की है।"।

(ii) श्री ज्ञान चन्द गुप्ता, उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। एम.एल.ए.